<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा (नालन्दा)</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं–460/2026</u>

कौशलेन्द्र कुमार. बनाम बिहार राज्य

<u>26.05.2026</u> आवेदक/अभियुक्त **कौशलेन्द्र कुमार पे0 स्व0 दुखी प्रसाद,** जो हिलसा थाना काण्ड सं–286/2026 (अन्तर्गत धारा–352,126(2),115(2),303,125(ए), 109(1),3(5) बी0एन0एस0) में अभियुक्त है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्रीमती गायत्री कुमारी द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में किसी प्रकार का जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध मारपीट का जो आरोप लगाया गया है, वह जमानतीय है। पलटा वाद हिलसा थाना काण्ड सं–291/26 दर्ज है। सह अभियुक्तों को ए<u>0बी0पी0नं–410/26</u> से अग्रिम जमानत दिया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–352,126(2), 115(2), 303, 125(ए), 109(1), 3(5) बी0एन0एस0) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यद्यपि इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 15.04.2026 को ~~आवेदक~~ अरविन्द कुमार अभियुक्त सूचक शिव कुमार प्रसाद के घर पर जाकर सूचक को गाली देने लगे एवं सूचक के मना करने पर अभियुक्त अरबिन्द कुमार सूचक के साथ लाठी से मारपीट किये व आवेदक अभियुक्त लोहे के रॉड से सूचक के पुत्र दिवाकर को सर पर मारे एवं सह अभियुक्त रजनीश कुमार सूचक के भतीजा चन्दन कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिये एवं सह अभियुक्त मनीष कुमार सूचक की पतोहू रीतू रानी के गले से चेन खींच लिये व मारपीट किये व सह अभियुक्त टीपू कुमार व किरण कुमारी भी ईट पत्थर से मारपीट कर जख्मी कर दिये, किन्तु अभी तक अनुसंधान के कम में तथाकथित चोरी का कोई सामान बरामद नहीं किया जा सका है एवं वाद दैनिकी में दिवाकर कुमार, रीतू रानी, चन्दन कुमार एवं सूचक का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें वर्णित है कि इन सभी के शरीर पर कठोर व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण जख्म है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–438(2) द.प्र.सं. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Aandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा